

# न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी- पीयूष समारिया  
आई०ए०एस०

राजस्व अपील सं० 46/2019

1. बाबु पुत्र रामला जाति मीना निवासी रूडमल का बास तहसील दौसा जिला दौसा।  
... अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा जिला दौसा।

...रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार दौसा दिनांक 29.10.2018 प्रकरण उनवानी सरकार  
बनाम बाबु मु०नं० 169/2018 अंतर्गत धारा 91 राज० लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956।

उपस्थित : 1. श्री प्रदीप कुमार विजयवर्गीय, अधिवक्ता अपीलांट  
2. श्री नवल किशोर शर्मा, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक: 03.11.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार दौसा जिला दौसा ने दिनांक 29.10.2018 को ग्राम रूडमल का बास तहसील दौसा के खसरा नं० 68 रकबा 0.25 है० एवं खसरा नं० 88 रकबा 0.15 है० किस्म चरागाह भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोजेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत तामील करवाये बिना व सुनवाई एवं सबूत का अवसर दिये बिना पीठ पीछे से निर्णय पारित किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा पूर्व बेदखली का कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। मात्र पटवारी हल्का की इकतरफा रिपोर्ट के आधार पर बिना मौके की जाँच किये पटवारी हल्का की रिपोर्ट को ही सही मानकर निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का से जिरह का अवसर भी नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।



h

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांत को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांत बावजूद सूचना अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। अपीलांत का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांत अतिक्रमी की श्रेणी में आते है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांत खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जांच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांत द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांत द्वारा पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांत को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांत बावजूद सूचना अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अपीलांत का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलांत को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में खसरा नं० 68 अंकित किया गया है जबकि पटवारी पटवारी हल्का की रिपोर्ट में खसरा नं० 86 रकबा 0.25 है० एवं खसरा नं० 88 रकबा 0.15 है० किस्म चरागाह भूमि पर जोत लगाकर एवं बाजरा की काश्तकर अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। पैरोकार सरकार द्वारा यद्यपि सहवन से खसरा नंबर 86 के स्थान पर 68 टंकित होना तथापि बेदखली एवं फसल जब्ती व नीलामी की रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न होना व्यक्त किया गया। इससे स्पष्ट है कि अपीलांत द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.10.2018 के विरुद्ध अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



(पीयूष समारिया)  
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 03 नवम्बर 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)  
जिला कलेक्टर, दौसा

